राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक–09.02.2016

परिपत्र –16

भामाशाह योजना से संबंधित समसंख्यक परिपत्र–11 की निरन्तरता में, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की भामाशाह योजना प्लेटफार्म पर उपलब्ध सूचना व विभागीय सूचना को एकरूप (integrate) बनाये रखने के लिए निम्न प्रकिया अपनाई जाएगीः–

1. चूंकि भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचना राज्य के किसी भी नागरिक की सही व पूर्ण सूचना है। अतः यह आवश्यक है कि यदि भामाशाह नामांकन में परिवार या परिवार के सदस्य की किसी भी प्रकार की सूचना में कोई परिवर्तन होता है जैसे लाभार्थी के मोबाइल नं., बैंक खाता संख्या, घर का पता इत्यादि, तो संबंधित विभाग के डेटाबेस में भी भामाशाह नामांकन के अनुरूप परिवर्तन किया जाए।
2. सभी संबंधित विभाग भामाशाह प्लेटफार्म में लाभार्थियों की सूचना में परिवर्तन के अनुरूप विभागीय डेटाबेस में प्रतिदिन अद्यतन सुनिश्चित करेंगे इसके लिए विभागीय एप्लीकेशन को भामाशाह एप्लीकेशन से एकरूप (integrate) किया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक–09.02.2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव............................
3. समस्त विभागाध्यक्ष..................................
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला..............
7. उप/सहायक निदेशक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना